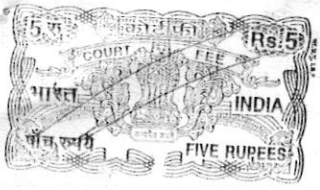

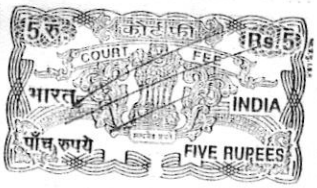

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

111

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2011 निगरानी R-1312-I/2011

1- हरविलास पुत्र गंगाराम निवासी ऐंचाया, तहसील गोहद, जिला भिण्ड

2- चिटोलीबाई पुत्री गंगाराम पत्नी राजाराम निवासी ग्राम धमसा का पुरा, तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

3- सरवती पुत्री गंगाराम पत्नी सदोले, निवासी ग्राम बंधवारथरा, तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1- सावित्री पुत्री तेजसिंह, निवासी चक सरवा तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

2- श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी आशाराम निवासी ग्राम ऐंचाया परगना गोहद, जिला भिण्ड

— रेस्पोडेन्टस

श्री ... द्वारा आज दि. 12.8.11 को प्रस्तुत
12.8.11
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

mpanchangam
12/8/11

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्वसंहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अपरआयुक्त चम्बल संभाग मुरैना, के प्रकरण क्रमांक 123/09-10 अपील व उन्वान श्रीमती पुष्पादेवी बनाम हरविलास एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 21.7.2011 से दुखितहोकर।

माननीयन्यायालय

निगरानीकर्तागणकी ओरसे निगरानी निम्नाकार

प्रत्यावर्तित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1312–एक/2011 निगरानी जिला – भिण्ड

स्थगन दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/7/17	आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 123/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–7–2011 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक 1 के नाम ग्राम ऐंचाया में कुल किता 6 कुल रकबा 2.55 हैक्टर भूमि हिस्सा 1/2 पर थी, जिसने पॅजीकृत विकय पत्र से यह भूमि अनावेदक कमांक 2 को विकय कर दी। विकय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 30 पर आदेश दिनांक 30–10–09 से केता का नामान्तरण हो गया। नामान्तरण आदेश दिनांक 30–10–09 के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने प्रकरण कमांक 17/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–5–2010 से अपील स्वीकार करते हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 30–10–09 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि मान0 व्यवहार न्यायालय में प्रचलित दावे के निराकंरण उपरांत उभय पक्ष को सुनकर पुनः आदेश पारित किया जावे। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 123/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–7–2011	

से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17–5–10 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया कि माननीय अपर जिला जज गोहद के न्यायालय में प्रचलित अपील कमांक 27/2009 के अंतिम निराकरण पर तद्नुसार कार्यवाही की जावे। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी गोहद के आदेश दिनांक 17–5–2010 एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 21–7–2011 का परिशील किया गया। अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने नामान्तरण आदेश को इस आधार पर निरस्त किया है कि मान0 व्यवहार न्यायालय में प्रचलित अपील के निराकरण उपरांत उभय पक्ष को सुनकर पुनः आदेश पारित किया जावे, जबकि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 123/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–7–2011 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17–5–10 इसलिये निरस्त किया है क्योंकि विचारण न्यायालय ने नामान्तरण पॅजीकृत विकय पत्र के आधार पर किया है एंव वाद विचारित भूमि के संबंध में मान0 अपर जिला जज गोहद के न्यायालय में प्रचलित अपील कमांक 27/2009 में जो भी आदेश होंगे,तद्नुसार राजस्व न्यायालय पालन हेतु वाध्य रहेंगे। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग के आदेश दिनांक 21–7–11 में दोष नहीं है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 123/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–7–2011 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य